(वाद सं०– 4637/4/9/2021)

19.10.2023

प्रसंगाधीन मामला दिनांक–30.03.2021 को बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री, रेणु देवी, व अन्य माननीय सदस्यों के बगहा दौरे के क्रम में पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी के गाड़ी से परिवादी, वीणा शुक्ला के पति, सुधांशु शुक्ला की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित मामले में उनके आश्रित को मुआवजा का भुगतान किये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर **पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया** के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित **अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, बेतिया** के प्रतिवेदनानुसार (पृष्ठ 08–06/प0) **''प्रसंगाधीन मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी की गाड़ी से परिवादी के पति के मोटरसाईकिल की धक्का लगने से मृत्यु हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में बगहा थाना कांड संख्या–171/21 दिनांक–31.03.2021 संस्थित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन में मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति व सरकारी गाड़ी से हुई दुर्घटना में मृत्यु के उपरान्त मुआवजे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।''**

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया** से मृतक के आश्रित को अनुमान्य मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की माँग की गई। **जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया** के प्रतिवेदनानुसार, **''परिवादी, वीणाशुक्ला, ग्राम–रमपुरवा, पो0–वृंदावन, थाना–चनपटिया को उनके पति, सुधांशुशुक्ला, की मृत्यु के उपरान्त परिवादी (मृतक की आश्रित) को उसके बैंक खाता के माध्यम से अनुमान्य मुआवजा की राशि 4,00,000/– (चार लाख रूपये) का भुगतान किया जा चुका है।''**

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन (पृष्ठ 20-17/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को भेजते हुए उनसे दिनांक-31.01.2024 के पूर्व प्रत्युत्तर की माँग की जाय।

संचिका दिनांक-06.02.2024 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव